न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 156/2015

1. केसराराम पुत्र स्व. श्री जेठाराम जाति कुम्हार निवासी 126 बैक कालोनी श्रीगंगानगर हाल आबाद 18 चन्द्रवीरसिंह कालोनी जैसलमेर।
2. नन्दराम पुत्र स्व. श्री जेठाराम जाति कुम्हार निवासी चक 6 एल.एन.पी. कुण्डलावाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. श्योपत पुत्र स्व. श्री रूपराम पुत्र स्व. श्री जेठाराम जाति कुम्हार निवासी चक 6 एल. एन.पी. कुण्डलावाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

— — वादीगण

—:: बनाम ::—

1. जसराम पुत्र स्व. श्री जेठाराम जाति कुम्हार निवासी चक 3 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. बनवारी लाल पुत्र स्व. श्री जेठाराम जाति कुम्हार निवासी चक 6 एल.एन.पी. कुण्डलावाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. रामेश्वर पुत्र स्व. श्री जेठाराम जाति कुम्हार निवासी चक 6 एल.एन.पी.कुण्डलावाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. रूकमा देवी पत्नि श्री ओमप्रकाश ढुंढाड़ा पुत्री स्व. श्री जेठाराम जाति कुम्हार निवासी सूरावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. सरबती देवी पत्नी स्व. श्री लूणाराम पुत्र स्व. श्री जेठाराम जाति कुम्हार निवासी चक 6 एल.एन.पी. कुण्डलावाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. बचनलाल पुत्र स्व. श्री लूणाराम पुत्र स्व. श्री जेठाराम जाति कुम्हार निवासी चक 6 एल.एन.पी. कुण्डलावाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. योगेश कुमार उर्फ जोगेश्वरलाल स्व. श्री लूणाराम पुत्र स्व. श्री जेठाराम जाति कुम्हार निवासी चक 6 एल.एन.पी. कुण्डलावाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. राजेश कुमार पुत्र स्व. श्री लूणाराम पुत्र स्व. श्री जेठाराम जाति कुम्हार निवासी चक 6 एल.एन.पी. कुण्डलावाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. स्टेट आफ राजस्थान – जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

— — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, आर.टी.ए. बाबत खाता विभाजन

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री दिनेश छाबड़ा अधिवक्ता	वादीगण
2. श्री मोहनलाल माहर अधिवक्ता	प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8

—:: निर्णय ::— दिनांक :– 27-10-16

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपनें माता पिता के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है :–

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

तहसील श्रीगंगानगर व जिला श्रीगंगानगर के चक 3 एम.एल. के पटवार हल्का के चक 5 एम.एल. के खाता संख्या 64/66 के मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1/.139, 2/.152, 9/.253, 10/.228, 11/.228, 12/.253, 19/.228, 20/.228 कुल तादादी 1.734 हैक्टर नहरी भूमि राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के नाम से मुश्तरका उनके हिस्सानुसार दर्ज रिकार्ड है।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 उपरोक्त वर्णित वादाधीन कृषि भूमि के सहकाश्तकार, सहखातेदारान दर्ज रिकार्ड है वादाधीन कृषि भूमि में वादी संख्या 1 ता 3 एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा एवम् प्रतिवादी संख्या 1ता 8 का संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा मुश्तरका दर्ज रिकार्ड है।

वादीगण वादाधीन कृषि भूमि के ऐलानियां एवम् दर्ज खातेदार कृषक होनें के कारण विभाजन का वाद प्रस्तुत करनें एवम् अपनें नाम से राजस्व रिकार्ड में पृथक अंकन करवाकर अलग से लगान निर्धारित करवानें एवम् पृथक जमाबन्दी तैयार करवाकर अपनें हिस्सा में आई विशेष मुरब्बा नम्बर व किला नम्बर की भूमि पर अधिष्ठित हो पानें के अधिकारी है।

वादरधीन कृषि भूमि मुश्तरका वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज रिकार्ड है जिसका आज तक अच्छी से अच्छी एवम् बुरी से बुरी भूमि का विधिवत विभाजन होकर लगान अलग अलग निर्धारित नहीं हुआ है व संयुक्त रूप से कब्जा है कानूनन भी जब तक विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तब तक प्रत्येक सहकाश्तकार का भूमि के प्रत्येक ईन्च पर कब्जा काश्त है।

भूमि शहर के नजदीक आ जानें के कारण एवम् मुश्तरका खाता होनें के कारण तथा परिवारों के मध्य आई अत्यधिक दूरियों के कारण अब वादीगण एवम् प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से काश्त करना असंभव हो गया है, सिचाई करनें में भी अत्यधिक परेशानी होती है एवम् प्रत्येक सहकाश्तकार भली प्रभार से अपनी भूमि का उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहा है इसलिये वादीगण विभाजन का वाद प्रस्तुत करनें के विधिक अधिकारी है।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के परिवारों में आई दूरियों को मध्यनजर रखते हुए कई मरतबा निवेदन किया कि वादाधीन कृषि भूमि का विशेष मुरब्बा नम्बर एवम् किला नम्बर से विभाजन कर अच्छी से अच्छी एवम् बुरी से बुरी भूमि का विधिवत विभाजन कर विभाजन का अंकन राजस्व रिकार्ड में करवाकर उक्तानुसार पृथक पृथक जमाबन्दी तैयार करवाकर पृथक पृथक लगान का निर्धारण करवा लेवें लेकिन प्रतिवादी पूर्व में आजकल कहकर वादीगण को टालते रहे और अन्त में कतई ईन्कार हो गये।

अतः डिक्री विभाजन बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण पारित की जाकर वादाधीन कृषि भूमि तहसील व जिला श्री गंगानगर के चक 3 एम.एल. के पटवार हल्का के चक 5 एम.एल. के खाता संख्या 64/66 के मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1/.139, 2/.152, 9/.253, 10/.228, 11/.228, 12/.253, 19/.228, 20/.228 कुल तादादी 1.734 भूमि का अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी का विभाजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 3 के 1/8 हिस्सा कृषि भूमि का अलग खाता कायम किये जाने की प्रारम्भिक डिक्री पारित की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। दिनांक 01.07.2016 को प्रतिवादी संख्या 4 की द्वारा इकबाल जबाबदावा मय शपथ पत्र तथा वादीगण प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत इकबाल जबाबदावा में कथन किया कि वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री फरमाया जावें एवम् प्रतिवादिया मुजीब के हक व हिस्सा की 1/8 हिस्सा भूमि वादीगण संख्या 1 ता 3 एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 प्रत्येक को एक एक

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 8 को संयुक्त रूप से एक हिस्सा का परित्याग करती है। एवम् उक्तानुसार वादीगण संख्या 1 ता 3 एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 प्रत्येक को मुताबिक राजीनामा एवम् प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 8 को संयुक्त रूप से मुताबिक राजीनामा वादग्रस्त भूमि का खातेदार दर्ज किया जाकर विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित की जावे तो प्रतिवादिया मुजीब को कोई एतराज नहीं है।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत में कथन किया गया है, कि उभपक्षकारान का लोक अदालत की भावना से पंचायत द्वारा राजीनामा करवा दिया है एवम् उभय पक्षकारान वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि का मौका पर अच्छी से अच्छी एवम् बुरी से बुरी भूमि का विधिवत विभाजन सहूलियत अनुसार कर लिया है प्रतिवादी संख्या 4 वादग्रस्त कृषि भूमि में से कोई हक व हिस्सा नहीं चाहती है तथा अपनें 1/8 हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग स्व. श्री जेठाराम के शेष सात वारिसान में बहिस्सा बराबर बराबर करती है अर्थात वादग्रस्त भूमि का स्व. श्री जेठाराम के शेष सात वारिसान में निम्न प्रकार से विभाजन किया जाता है :–

1. वादी संख्या 1 केसराराम के हक व हिस्सा में चक 2 एम.एल. के खाता संख्या 64/66 के मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1/.0384, 10/.0668, 11/.1410, 20/.0746 कुल 0.321 हैक्टर कृषि भूमि आई है जो कि मुताबिक नजरिया नक्शा दो बिस्वा रास्त के साथ की है। एवम् इस भूमि के पिछे जसराम की ढ़ाणी है।
2. वादी संख्या 2 नन्दराम के हक व हिस्सा में चक 2 एम.एल. के खाता संख्या 64/66 के मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1/.046, 10/.075, कुल 0.121 हैक्टर कृषि भूमि आई है जो कि मुताबिक नजरिया नक्शा केसराराम वादी संख्या 1 की भूमि के साथ चिपती है।
3. वादी संख्या 3 श्योपतराम के हक व हिस्सा में चक 2 एम.एल. के खाता संख्या 64/66 के मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1/.0087, 10/.0145, 11/.0145, 20/.0145, 2/0.033, 9/.0549, 12/.0549, 19/.0549 कुल 0.250 हैक्टर कृषि भूमि आई है जो कि मुताबिक नजरिया नक्शा जसराम प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि के साथ चिपती है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 जसराम के हक व हिस्सा में चक 2 एम.एल. के खाता संख्या 64/66 के मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1/.043, 10/.0717, 11/.0717, 20/.1385 कुल 0.325 हैक्टर कृषि भूमि आई है जो कि मुताबिक नजरिया नक्शा केसराराम वादी संख्या 1 एवम् नन्दराम वादी संख्या 2 की भूमि के साथ चिपती है।
5. प्रतिवादी संख्या 2 बनवारीलाल के हक व हिस्सा में चक 2 एम.एल. के खाता संख्या 64/66 के मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 2/.0375, 9/.0625, 12/.0625, 19/.0625 कुल 0.225 हैक्टर कृषि भूमि आई है जो कि मुताबिक नजरिया नक्शा रामेश्वर प्रतिवादी संख्या 3 की भूमि के साथ चिपती है।
6. प्रतिवादी संख्या 3 रामेश्वर के हक व हिस्सा में चक 2 एम.एल. के खाता संख्या 64/66 के मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 2/.0396, 9/.0659, 12/.0659, 19/.0659 कुल 0.237 हैक्टर कृषि भूमि आई है जो कि मुताबिक नजरिया नक्शा श्योपत वादी संख्या 3 की भूमि के साथ चिपती है।
7. प्रतिवादी संख्या 4 रूकमा देवी पत्नि श्री औमप्रकाश पुत्र स्व. श्री जेठाराम को विरासत में प्राप्त अपनें 1/8 हिस्सा का परित्याग स्व. श्री जेठाराम के शेष वारिसान के पक्ष में बहिस्सा बराबर–बराबर करती है।
8. प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 8 स्व. श्री लूणाराम पुत्र श्री जेठाराम के वारिसान के हक व हिस्सा में चक 2 एम.एल. के खाता संख्या 64/66 के मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 2/.0417, 9/.0696, 12/.0696, 19/.0696 कुल 0.251 हैक्टर कृषि भूमि आई है जो कि मुताबिक नजरिया नक्शा बनवारीलाल प्रतिवादी संख्या 2 की भूमि के साथ चिपती है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

लगातार 4

वादीगण तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया वादी एवम् प्रतिवादी के सहमत होने पर राजीमाना पर हस्ताक्षकर करवाये गये वादीगण की पहचान श्री मोहन लाल छाबड़ा अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण की पहचान श्री मोहन लाल माहर अधिवक्ता द्वारा की गई। दिनांक 13.09.2016 को स्टेट की और से जबाब प्रस्तुत हुआ जिसमें कथन किया कि राज्य हितों को मध्यनजर रखते हुए निर्णय किया जाना उचित है।

वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नहीं होनें तथा राजीनामा पेश करनें के कारण दिनांक 20.09.2016 को बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागण नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमने वादी विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात तथा दिनांक 01.07.2016 को पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अवलोकन से राजीमाना के अनुसार वाद पत्र का निस्तारण किया जाना विधि अनुसार एवम् लोक अदालत की भावना के अनुरूप है इसलिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 33 के अन्तर्गत वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है :-

1. वादी संख्या 1 केसराराम के हक व हिस्सा में चक 2 एम.एल. के खाता संख्या 64/66 के मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1/.0384, 10/.0668, 11/.1410, 20/.0746 कुल 0.321 हैक्टर कृषि भूमि आई है जो कि मुताबिक नजरिया नक्शा दो बिस्वा रास्ता के साथ की है। एवम् इस भूमि के पिछे जसराम की ढ़ाणी है।
2. वादी संख्या 2 नन्दराम के हक व हिस्सा में चक 2 एम.एल. के खाता संख्या 64/66 के मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1/.046, 10/.075, कुल 0.121 हैक्टर कृषि भूमि आई है जो कि मुताबिक नजरिया नक्शा केसराराम वादी संख्या 1 की भूमि के साथ चिपती है।
3. वादी संख्या 3 श्योपतराम के हक व हिस्सा में चक 2 एम.एल. के खाता संख्या 64/66 के मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1/.0087, 10/.0145, 11/.0145, 20/.0145, 2/0.033, 9/.0549, 12/.0549, 19/.0549 कुल 0.250 हैक्टर कृषि भूमि आई है जो कि मुताबिक नजरिया नक्शा जसराम प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि के साथ चिपती है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 जसराम के हक व हिस्सा में चक 2 एम.एल. के खाता संख्या 64/66 के मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1/.043, 10/.0717, 11/.0717, 20/.1385 कुल 0.325 हैक्टर कृषि भूमि आई है जो कि मुताबिक नजरिया नक्शा केसराराम वादी संख्या 1 एवम् नन्दराम वादी संख्या 2 की भूमि के साथ चिपती है।
5. प्रतिवादी संख्या 2 बनवारीलाल के हक व हिस्सा में चक 2 एम.एल. के खाता संख्या 64/66 के मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 2/.0375, 9/.0625, 12/.0625, 19/.0625 कुल 0.225 हैक्टर कृषि भूमि आई है जो कि मुताबिक नजरिया नक्शा रामेश्वर प्रतिवादी संख्या 3 की भूमि के साथ चिपती है।
6. प्रतिवादी संख्या 3 रामेश्वर के हक व हिस्सा में चक 2 एम.एल. के खाता संख्या 64/66 के मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 2/.0396, 9/.0659, 12/.0659, 19/.0659 कुल 0.237 हैक्टर कृषि भूमि आई है जो कि मुतादिक नजरिया नक्शा श्योपत वादी संख्या 3 की भूमि के साथ चिपती है।
7. प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 8 स्व. श्री लूणाराम पुत्र श्री जेठाराम के वारिसान के हक व हिस्सा में चक 2 एम.एल. के खाता संख्या 64/66 के मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 2/.0417, 9/.0696, 12/.0696, 19/.0696 कुल 0.251 हैक्टर कृषि भूमि आई है जो कि मुताबिक नजरिया नक्शा बनवारीलाल प्रतिवादी संख्या 2 की भूमि के साथ चिपती है।

लगातार 5

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी बैक आदि से ऋण ले रखा हो तो समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें पर ही उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान अलग–अलग कायम किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 27-10-16 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर